


छत्तीसगढ़ शासन  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नया रायपुर



क्र.सं. :: एफ 5-7/18/2011  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर, 2014

संचालक,  
नगरीय प्रशासन एवं विकास,  
संचालनालय, नया रायपुर।

विषय :- प्लास्टिक अपशिष्ट विषय पर, मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्र. ओए 04/2013 श्री संदीप लहरिया, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्रों को प्लास्टिक कैंरी बैग मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित करने हेतु दिनांक 30 अक्टूबर 2014 को छत्तीसगढ़ (असाधारण) राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया समस्त नगरीय निकायों को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- अधिसूचना की 05 प्रति

(एल.डी. चोपड़े)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नया रायपुर, दिनांक नवम्बर, 2014

पृ.क्र. :: एफ 5-7/18/2011

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल कालोनी, व्यावसायिक परिसर, कबीर नगर रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. समस्त कलेक्टर, जिला..... छत्तीसगढ़,
5. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर
6. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़,
7. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु की ओर अधिसूचना की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग



“विज्ञानस्य पारस्विक अन्तर्गत डाक शुल्क क  
नगद भुक्तान ( बिना डाक टिकट ) के प्रयण  
हेतु अनुमत्त क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़  
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक  
30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 542 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2014 — कार्तिक 8, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-7/18/2011.—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 सहपठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त और भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन जारी उसकी अधिसूचना क्र. एस.ओ. 152 (ई) नई दिल्ली, दिनांक 10-02-1988 द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्वारा, अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, (कक्ष क्र. एस 3-23), मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में, प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप अधिसूचना

यत प्लास्टिक बैग, अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट कारित करते हैं ;

और यत भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ, परिकल्पित करता है कि राज्य, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा ;

और यत छत्तीसगढ़ शासन की राय है कि प्लास्टिक बैग का उपयोग, गंभीर क्षति कारित करता है और पर्यावरण एवं मानव के साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

और यत: यह देखा गया है कि प्लास्टिक बैग ; गटर, मलनालियों एवं नालियों को भी निरुद्ध करते हैं, परिणामस्वरूप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं ;



Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours by the office of Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Urban Administration and Development (Room No. S-3-23), Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh

#### DRAFT NOTIFICATION

Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard:

And Whereas, Article 48-A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment ;

And whereas, the Government of Chhattisgarh is of the opinion that, the use of plastic carry bags is causing grave injury and is detrimental to the environment and the health of human beings as well as animals.

And whereas, it is observed that the plastic carry bags are also causing blackage of gutters, sewers and drains, resulting in serious environmental problems ;

And whereas, with a view to prevent the occurrence of such problem the State Government has decided to declare the entire areas of the State of Chhattisgarh as "the Plastic Carry Bag Free Area ";

Now, therefore, in exercise of the powers delegated by the Government of India, Ministry of Environment & Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) vide it's Notification No. S. O. 152 (E) New Delhi, dated 10-02-1988 issued under Section 23 of the said Act to the State Government and conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986), the State Government, hereby, directs that,-

#### DIRECTION

No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker or rehriwala etc. shall use plastic carry bags for supply of goods, and further directs that no person shall manufacture, store, import, sell or transport plastic carry bags in the State of Chhattisgarh with effect from 1st January, 2015.

**Explanation :-** For the purpose of this Notification the words "plastic" and "carry bags" shall have the same meaning as defined under the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011. The containers used for packaging food material, milk and raising plants in the nurseries are not carry bags.

The State Government, hereby, further also directs that the following Officers shall implement these directions and file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 exercising the powers delegated to them by Government of India, Ministry of Environment and Forests, vide its Notification No. S.O. 394 (E) New Delhi, dated 16-04-1987, namely :-

1. District Collector,
2. Officers of the Commercial Tax Department,
3. Regional officers of the Chhattisgarh State Pollution Control Board,
4. All Commissioner/Chief Municipal Officers of urban local bodies of the State.

By order and in the name of the Government of Chhattisgarh,  
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary